प्रेस नोट - मॉनीटरिंग सेल

जनपद शाहजहाँपुर

दिनांक - 13.08.2026

ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत शाहजहाँपुर पुलिस का सफलतम प्रयास

धारा 25 आयुध अधिनियम के 01 आरोपी न्यायालय उठने तक की सजा एवं कुल 02 हजार रूपये के अर्थदण्ड से दंडित कराया गया।

श्री राजीव कृष्ण, पुलिस महानिदेशक महोदय, उ0प्र0 के आदेशानुसार जनपद में जघन्य अपराधों को कडी सजा से दण्डित करवाये जाने हेतु चलाये जा रहें ऑपरेशन कन्विक्शन के क्रम में श्री रमित शर्मा, अपर पुलिस महानिदेशक महोदय, बरेली जोन बरेली व श्री अजय कुमार साहनी पुलिस उपमहानिरीक्षक महोदय, बरेली परिक्षेत्र बरेली महोदय के निर्देशानुसार श्री सौरभ दीक्षित, पुलिस अधीक्षक शाहजहाँपुर के कुशल निर्देशन में, श्री देवेन्द्र कुमार, अपर पुलिस अधीक्षक नगर व श्री शुभम वर्मा, क्षेत्राधिकारी सदर/पार्टी प्रभारी के कुशल पर्यवेक्षण में अपराधियों को शीघ्र एवं कठोर सजा दिलाने में शाहजहाँपुर पुलिस को बडी सफलता प्राप्त हुई।

इस क्रम में मॉनीटरिंग सेल व थाना गंढिया रंगीन पुलिस तथा अभियोजन विभाग द्वारा समन्वय स्थापित करके समयबद्ध रूप से माननीय न्यायालय जेएम तिलहर में साक्षियों को साक्ष्य कराकर प्रभावी पैरवी किये जाने के उपरान्त थाना गढिया रंगीन में आरोपी अनोखे लाल के कब्जे से एक अदद पोनिया 12 बोर मय कारतुस नाजायज बरामद होने के आरोप में पूर्व में जेल में बिताई गयी अवधि व न्यायायलय उठने तक की सजा व कुल 02 हजार रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

सजा प्राप्त किये अभियुक्त का विवरण-

अनोखे लाल पुत्र रामेश्वर दयाल निवासी किशनपुरा

घटना व सजा का विवरण-

मु0अ0सं0 94/2004 धारा 25 आयुध अधिनियम थाना गंढिया रंगीन जनपद शाहजहाँपुर में आरोपी अनोखे लाल के कब्जे से एक अदद पोनिया 12 बोर मय कारतुस नाजायज बरामद होने के आरोप में पूर्व में जेल में बिताई गयी अवधि व न्यायायलय उठने तक की सजा व कुल 02 हजार रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।